झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर संथाल परगना प्रमण्डल एवं कोल्हान प्रमण्डल में संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के सत्र 2024–25 में कक्षा–6 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या – ...18..... / 2024

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 778 दिनांक 18.05.2017 तथा ज्ञापांक 133 दिनांक 16.06.2017 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बालकों के लिए संथाल परगना प्रमण्डल में दुमका तथा कोल्हान प्रमण्डल के चाईबासा में संचालित आवासीय बालक विद्यालय एवं पत्रांक 328 दिनांक 08.11.2016 एवं परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2017 के आलोक में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के वर्ग 6 में शिक्षा सत्र 2024–25 में नामांकन हेतु एक स्तरीय लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

एतद् द्वारा संबंधित छात्र/छात्राएँ, जो निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ता रखते हैं, उनसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

(क) झारखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(ख) 01 अगस्त, 2024 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(ग) किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय में पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा छः में अध्ययनरत् हों।

(घ) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि/जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परन्तु नामांकन के समय उन्हें मूल रुप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2) परीक्षा आवेदन प्रपत्र निम्न कार्यक्रम के अनुसार भरा जाएगा।

क्र0	कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
01.	ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि	दिनांक 14.05.2024 से 31.05.2024 तक
02.	परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गये आवेदन का प्रिन्ट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभिप्रमाणित कराने के पश्चात् विद्यालय प्रधान/अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि	दिनांक 15.05.2024 से 03.06.2024 तक
03.	जमा किए गए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित करने की तिथि	दिनांक 15.05.2024 से 04.06.2024 तक
04.	ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 23.06.2024 से
05.	**परीक्षा की तिथि**	**दिनांक 30.06.2024**

3) परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश :–

(क) परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac पर उपलब्ध होगा, जिसे ऑनलाइन भरा जा सकेगा।

(ख) अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाईन में वर्णित दिशा–निर्देश को भली–भांति पढ़ लें तथा उसी के अनुसार परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरें।

(ग) परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संबंधित विद्यालय, जिसमें छात्र/छात्रा को नामांकन हेतु आवेदन देना है, का चयन किया जाना आवश्यक होगा एवं चयन के उपरान्त इसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के पश्चात् इसे Submit करेंगे एवं उक्त आवेदन प्रपत्र का प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभिप्रमाणित करायेंगे।

(ङ) अभिप्रमाणित आवेदन प्रपत्र प्रधानाध्यापक/अभिभावक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4) **सामान्य निर्देश**

(i) लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट के माध्यम से लिए जायेंगे।

(ii) परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होंगे।

(iii) संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिये 100 सीट निर्धारित हैं। इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत् मेधा क्रम में छात्र/छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय, दो पालियों में (2:30 घंटे की प्रत्येक पाली) तथा निम्नांकित विषयों में होगी।

परीक्षा कार्यक्रम

क्र0 सं0	परीक्षा के विषय	अंक	विषय के अन्तर्गत समाहित विषय	अंक विभाजन	समूह	परीक्षा की तिथि, समय एवं पाली
01.	गणित	50			A	30.06.2024 प्रथम पाली (10:00 से 12:30 बजे तक)
02.	सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	50	सामाजिक अध्ययन (इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल)	20		
			सामान्य ज्ञान	10		
			सामान्य विज्ञान (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान)	20		
03.	भाषा	50	हिन्दी	50	B	30.06.2024 द्वितीय पाली (1:30 से 4:00 बजे तक)
04.	मानसिक योग्यता	50		50		

(iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए शुल्क 100/– (एक सौ रुपये) मात्र तथा अन्य कोटि के लिए शुल्क 200/– (दो सौ रुपये) मात्र निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जायेंगे। शुल्क के ऑनलाइन भुगतान संबंधी निर्देश परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(v) ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट की प्रति विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अग्रसारित होना आवश्यक है।

(vi) परीक्षा आवेदन प्रपत्र की प्रिन्ट की प्रति छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक या प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरान्त स्वीकार नहीं किए जायेंगे। प्रिन्ट प्रति में उपलब्ध प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को निर्गत किया जायेगा।

(vii) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी दस्तावेज सहित समेकित सूची परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के आलोक में तैयार कर परिषद् कार्यालय को निर्धारित तिथि में निश्चित रुप से उपलब्ध कराई जायेगी।

(viii) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए प्रपत्रों एवं आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। जाँचोंपरान्त सही पाये जाने पर ही परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए समेकित सूची में उक्त को चिन्हित कर अग्रसारित किया जाएगा, जिससे कि उक्त परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जा सके।

(ix) उम्र निर्धारण के संबंध में चिकित्सक दल (Medical Board) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट :– विज्ञप्ति प्रकाशित करने में पूरी सावधानी बरती गई है। कोई भी त्रुटि या अस्पष्टता की स्थिति में इस विज्ञप्ति में संशोधन/संवर्द्धन किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

JAC/[illegible] राँची/416/SECY/537/24.
Dt - 10/5/24.
D.O.P - 11/5/24.

ज्ञापांक : JAC/ई०प्र०/गोपनीय/416/SEC/537/24 दिनांक : 10/5/24

विज्ञप्ति प्रेषित : मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (1) प्रभात खबर झारखण्ड, (2) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (3) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (4) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 11.05.2024 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

10/5 [signature]

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

10/5/24